छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 327 / 2006</u>

श्री जवाहर नागदेव,
सी–3, आर.डी.ए. बिल्डिंग, शारदा चौक,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
   कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,
   तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. प्रभारी संयुक्त पंजीयक,
   कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,
   तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: <u>आदेश</u> ::
(<u>दिनांक 25 जनवरी 2007</u>)

श्री जवाहर नागदेव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी अपने अपील–पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर से 12 बिन्दुओं पर आवेदन पत्र दिनांक 03–03–2006 द्वारा जानकारी चाही थी। अपीलार्थी का यह कथन है कि उसे जानकारी नहीं दी गई, जिसके विरूद्ध उसने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 20–07–2006 के द्वारा 15 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये। वांछित जानकारी प्राप्त न होने के फलस्वरूप अपीलार्थी ने द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 09–10–2006 को जन सूचना अधिकारी ने उत्तर प्रस्तुत किया तथा बतलाया कि अपूर्ण जानकारी एवं विलम्ब के लिए विजय गृह निर्माण सहकारी समिति के कक्ष प्रभारी एवं संयुक्त पंजीयक उत्तरदायी हैं। अतः आयोग के द्वारा 15 दिन में निःशुल्क जानकारी दिये जाने के आदेश दिये गये एवं विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों को प्रत्येक को 10,000–10,000 रूपए का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे, का नोटिस जारी किया गया।

4/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी तथा संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत जवाब का

अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा वांछित जानकारी समय पर प्रदान नहीं की गई है। जानकारी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के कार्यालय से मिलना चाहिए। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि मांगी गई जानकारी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, यह जानकारी संबंधित संस्था के अध्यक्ष से मांगी गई थी, किन्तु अध्यक्ष ने सूचित किया कि शासन से समिति को कोई अनुदान नहीं मिलता है इसलिए संस्था सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं है। इसकी सूचना आवेदक को पत्र दिनांक 29–03–2006 के द्वारा दी गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा संयुक्त पंजीयक, रायपुर से प्राप्त जानकारी दिनांक 17–05–2006 को आवेदक को उपलब्ध कराई गयी।

5/ अपीलार्थी के द्वारा जन सूचना अधिकारी को दिये गये आवेदन दिनांक 03–03–2006 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकारी से विजय गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री विजय बजाज एवं श्री तेजकुमार बजाज के नाम पर कितनी–कितनी भूमि कहां है, यह जानकारी चाही। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में अपीलार्थी को सूचित किया कि इसकी जानकारी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के कार्यालय में नहीं है, यह जानकारी राजस्व विभाग से प्राप्त किया जावे। यह सही है कि किस व्यक्ति की जमीन कितनी–कितनी और कहां–कहां पर है यह जानकारी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के कार्यालय में रहना संभव नहीं है। बिन्दु क्रमांक–2 भी श्री विजय बजाज एवं श्री तेजकुमार बजाज के नाम पर कटोरातालाब में मकान एवं भू–खण्ड होने से संबंधित है, इसकी भी जानकारी संयुक्त पंजीयक कार्यालय में न होने के संबंध में सूचना दी गई। बिन्दु क्रमांक–3 के संबंध में बतलाया गया कि कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में दी गई कोई लिखित शिकायत लंबित नहीं है। बिन्दु क्रमांक–4, 5, 9 एवं 10 से संबंधित जानकारी विजय गृह निर्माण सहकारी समिति संस्था से ही प्राप्त हो सकती है, यह जानकारी संयुक्त पंजीयक कार्यालय मे उपलब्ध नहीं रहती है, इसकी भी सूचना अपीलार्थी को दी गई। बिन्दु क्रमांक–11 एवं 12 के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया कि जाँच होने पर समिति/संस्था दोषी पाये जाने पर सहकारिता अधिनियम अंतर्गत संबंधित समिति/संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। यद्यपि संयुक्त पंजीयक के द्वारा प्रभारी अधिकारी (अंकेक्षण) को जानकारी हेतु लिखा गया था, किंतु जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। बिन्दु क्रमांक–11 में अपीलार्थी ने यह जानकारी चाही है कि उक्त संस्था का निरीक्षण किन–किन सहकारिता निरीक्षकों के द्वारा किया गया तथा निरीक्षण में क्या–क्या अनियमितता पाई गई। यह जानकारी अपीलार्थी को दी जाना चाहिए थी। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि जन सूचना अधिकारी, संयुक्त पंजीयक, रायपुर के द्वारा प्रभारी अधिकारी (अंकेक्षण) से जानकारी लेकर 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे। बिन्दु क्रमांक–12 की जानकारी के संबंध में भी स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को जानकारी दी जावे कि यदि अनियमितता समिति के कार्यों में पाई गई है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही न करने के लिए किन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो वैसी जानकारी अपीलार्थी को दी जावे। विजय गृह निर्माण सहकारी समिति की वैधानिक स्थिति के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया कि यह समिति, सहकारी समितियां अधिनियम–1960 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था है। बिन्दु क्रमांक–6 के संबंध में

भी सूचित किया गया कि विधानसभा की उपसमिति के द्वारा विजय गृह निर्माण सहकारी समिति की जाँच नहीं की जा रही है। जहां तक विजय गृह निर्माण सहकारी समिति के संबंध में जानकारी का संबंध है, सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत समिति का सदस्य, समिति के पदाधिकारियों से, समिति से संबंधित जानकारी लेने के लिए अधिकृत है और यदि समिति जानकारी नहीं देती है तो उक्त सदस्य उस समिति के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी को आवेदन देकर समिति के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए निवेदन कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(एच)(डी) के अंतर्गत ऐसा कोई शासकीय संगठन जो कि राज्य सरकार के स्वामित्व के अधीन हो या वित्तीय पोषण के अधीन हो, अर्थात् प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा दी गई निधियों के द्वारा उसका वित्तीय पोषण होता हो, वह लोक प्राधिकारी के परिभाषा के अंतर्गत आता है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि यह सिद्ध कर सके कि विजय गृह निर्माण सहकारी संस्था राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय पोषित है। अतः यह संस्था सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी न होने के कारण जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। इसी कारण उक्त संस्था के द्वारा जानकारी न दिये जाने के फलस्वरूप सूचना अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के द्वारा अपीलार्थी को तद्नुसार सूचित किया गया। अपीलार्थी का यह तर्क है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को अपीलार्थी को जानकारी निःशुल्क दिये जाने के आदेश दिये हैं, किन्तु उसके पश्चात् भी जानकारी उसे नहीं दी गई। प्रकरण के अभिलेखों से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध जानकारी दी गई है। जो जानकारी उसके संरक्षण में एवं अधिकार क्षेत्र में नहीं है वह जानकारी सूचना अधिकारी के द्वारा दी जाना संभव नहीं है। विजय गृह निर्माण सहकारी समिति यदि सूचना का अधिकार के अंतर्गत लोक प्राधिकारी न होने से जानकारी प्रदान नहीं करती है, तो सूचना अधिकारी के द्वारा समिति से संबंधित जानकारी अपीलार्थी को दिया जाना संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में ही विजय गृह निर्माण सहकारी संस्था के द्वारा जानकारी नहीं देने की सूचना दे दी गई थी तथा गृह निर्माण सहकारी संस्था को लिखे गये पत्र की प्रति भी अपीलार्थी को दी गई। प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश अपीलार्थी को जानकारी नहीं देने का कोई प्रमाण नहीं है, अतः उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ऐसी समितियाँ जो कि अपने सदस्यों को सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित जानकारी मांगी जाने पर अपने सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराती है, उनके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाये। बिन्दु क्रमांक–11 एवं 12 की जानकारी इस आदेश की कंडिका–5 के अनुसार निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाये। चूँकि अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक–11 एवं 12 की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे कि उसे आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई, अतः अपीलार्थी को

सहकारिता विभाग से 250/- रूपए क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

7/ अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त